2.1

प्रपत्र–1

परियोजना का नामः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में ह्वील कुलवान मोटर मार्ग से ज्योणास्टेट सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रतिवेदन

वर्ष 2013–14 की जिला योजना मा. प्रभारी मंत्री, जनपद बागेश्वर द्वारा दिनांक 05.03.2013 को अनुमोदित करने के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक 736/ जि0यो0/ 2013–14 दिनांक 05.09.2013 द्वारा जनपद बागेश्वर में ह्वीलकुलवान मोटर मार्ग से ज्योणास्टेट मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु 3 कि.मी. लम्बाई एवं रू0 0.30 लाख (प्रथम चरण– सर्वेक्षण एवं वन भूमि प्रस्ताव हेतु) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी हैं। (सन्दर्भित पत्र की प्रमाणित् फोटो प्रति संलग्न है।)

जनपद बागेश्वर के विकास खंड गरूड़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–7) के अन्तर्गत कन्धार–रौल्याणा मोटर मार्ग के कि0मी0 6 से ज्योणास्टेट तक 5 कि0.मी. मोटर मार्ग स्वीकृत किया गया था। सर्वेक्षण पश्चात् 2..3025 है0 वन भूमि की भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/ यू.सी.पी./ 06/ 152/ 2006/ एफ.सी./ 2336 दिनांक 04.02.2011 द्वारा विधिवत स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी.आई. 2545 / 7–1–2011–600 (2179)/ 2008 दिनांक 10.03.2011 द्वारा भूमि हस्तान्तरण आदेश उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–7) के अन्तर्गत अल्मोड़ा–ग्वालदम मोटर मार्ग के कि0मी0 82 से ह्वीलकुलवान तक 5 कि0मी.0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु भारत सरकार के पत्रांक 8 बी/ यू.सी. पी./ 06/ 273/ 2007/ एफ.सी./ 1166 दिनांक 16.01.2009 द्वारा विधिवत स्वीकृति एवं शासनादेश संख्या जी0आई0–1882/ 7–1–2009–600 (2028)/ 2007 दिनांक 27.01.2009 द्वारा 4.4187 है0 वन भूमि हस्तान्तरण आदशष प्राप्त होने के उपरान्त निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। ह्वीलकुलवान (जनसं,ख्या 546) से ज्योणास्टेट (जनसंख्या 539) तक बीच का भाग अभी किसी मार्ग से नहीं जुड़ा है। ये दोनों गांव काफी क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। सर्वेक्षण उपरान्त न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सम्पर्क मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 1.30 कि0मी0 हैं जिसमें सम्पूर्ण लम्बाई में आरक्षित वन भूमि आती है एवं चीड़ बाहूल्य क्षेत्र है। इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृत संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण संख्या 1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का निर्माण वर्तमान निर्मित ह्वील कुलवान मोटर मार्ग के कि.मी. 5 के अंन्तिम बिन्दु से प्रस्तावित किया गया है जो कन्धार–रौल्याणा मोटर मार्ग के कि.मी. 6 से ज्योणास्टेट तक निर्मित मोटर मार्ग के अंत में मिल जायेगा। आरक्षित वन क्षेत्र में होने के कारण इस संरेखण को न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया गया है। इस संरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। बैन्ड कम आते हैं एवं मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है। इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0 2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, के अनुसार मोटर मार्ग का संरेखण आरम्भ में प्रथम संरेखण के अनुसार ही रखा गया है परन्तु 100 मीटर के बाद संरेखण घने जंगल से होकर जाता है जिसमें बैन्ड भी अधिक आते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार ग्रेड न मिलने एवं अधिक आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नहीं है।

उक्त को ध्यान में रखते हुए संरेखण नं. 2 को निरस्त कर संरेखण नं. 1 को अनुमोदित किया गया है। इन दोनों संरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा संरेखण नं. 1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है।

पलायन को रोकने हेतु दूरस्थ क्षेत्र की जनता एवं राजकीय प्रतिष्ठानों तक यातायात की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। मोटर मार्ग निर्माण में न्यूनतम आवश्यकतानुसार हस्तान्तरण हेतु भूमि की चौड़ाई 7 मीटर प्रस्तावित करते हुए प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः 1.300 कि.मी. लम्बाई में प्रभावित होने वाली 0.910 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 80 चीड़ वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव प्रेषित् किया जा रहा है। भविष्य में इस मार्ग के निर्माण हेतु और वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0,
बागेश्वर